खजरा जलाशय योजना

संक्षिप्त टीप

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र0 6-MPC036/2007 भोपाल 4410/दिनांक 03/12/2007 द्वारा प्रधान सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल को लेख किया है कि मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना सुविचारित नहीं है।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र0 2 सागर का पत्र क्र0 1063/वन प्रकरण/कार्य/ 2008 सागर दिनांक 04/04/2008 द्वारा अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल सागर को लेख किया गया था कि योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने एवं बांध के डूब क्षेत्र में 2300 वृक्षों की कटाई होने से पर्यावरण को ध्यान में रखकर योजना की स्वीकृति का निरस्त कि... जाना प्रस्तावित है।

खजरा जलाशय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति 2003 के सी0एस0आर0 पर रू0 166.73 लाख थी। जो मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पत्र क0 373/32/06/2005/लसिं/इकतीस, भोपाल दिनांक 28/05/2005 द्वारा प्रदाय की गई थी। रिवाईज्ड DPR 2007 सी0एस0आर0 पर तैयार किया गया था। जिसके अंतर्गत योजना की लागत रू0 307.98 (रू0 2.28 लाख प्रति हेक्टेयर) थी। परन्तु इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। वर्तमान में योजना की लागत का आकलन 2009 के यू0सी0एस0आर0 पर करने से योजना की लागत रू0 415.31 लाख आती है, एवं प्रति हेक्टेयर लागत 3.08 लाख होगी।

अतः योजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुविचारित नहीं है (पत्र की प्रति संलग्न है) एवं लागत भी अधिक होने से इसे निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

योजना पर सिर्फ सर्वेक्षण पर रू0 2.90 लाख व्यय हुआ है। स्थल पर कोई भौतिक कार्य नहीं हुआ है। योजना के निरस्तीकरण हेतु प्रपत्र 151 पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

(यू0आर0एस0 चौहान)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र.1
सागर (म.प्र.)